श्री कलराज मिश्र

माननीय राज्यपाल, राजस्थान का उद्‌बोधन

20वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव

दिनांक 29 फरवरी, 2020 समय सांय : 07.00 बजे

स्थान – शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, कूकस, जयपुर

युवा साथियों, भाइयो, बहनो, पत्रकार बन्धुओ और छायाकार मित्रो।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा शंकरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स, जयपुर में आयोजित इस 20 वे राष्ट्रीय युवा महोत्सव (साइट–2020) में शामिल होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है।

देशभर से आये युवाओं का मैं प्रदेश में हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा इस उत्सव में सक्रिय भागीदारी निभायेगें। मैं आप सभी युवाओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना देता हूं।

गत 26 नवम्बर को पूरे देश में 70 वां संविधान दिवस मनाया गया। आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान हमारा मार्गदर्शक है। हमारा मूल ग्रन्थ है।

संविधान की प्रस्तावना में राष्ट्र की मूल भावना का उल्लेख है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिये हैं।

संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमारे द्वारा किये जाने वाले कर्त्तव्यों को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य, यह दोनों ही संविधान के प्रमुख स्तम्भ हैं।

मौलिक अधिकारों की तो हम बात करते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे कर्त्तव्यों को जानें, समझें और उनके अनुरूप ही अपना कार्य और व्यवहार करें।

आप लोग युवा हैं। राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्त्तव्यों को आप लोग आचरण में लाकर आगे बढ़ें। यदि हम सभी ने ऐसा प्रयास किया तो निश्चित तौर पर भारत देश को आगे बढ़ाने में और स्वयं के जीवन को भी प्रोनन्त करने में यह कदम बेहतरीन साबित होगा।

आमजन को संविधान की जानकारी होना आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व सामाजिक समस्सता के लिए कर्त्तव्यों का निर्वहन करना होगा।

मैं चाहता हूं कि विश्वविद्यालायों में युवाओं को मूल कर्त्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए अभियान चलाया जाये। देश की युवा पीढी को मूल कर्त्तव्यों के बारे में बताया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 51 क पर विचार – विमर्श करने के लिए गोष्ठियां व सेमीनार आयोजित की जायें।

युवा पीढ़ी को भारतीय संविधान के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क का निर्माण किया जायेगा। विश्वविद्यालयों के परिसरों में निर्मित इन संविधान पार्को में संविधान की प्रस्तावना और संविधान की धारा 51 (क) में उल्लेखित मूल कर्त्तव्यों को प्रदर्शित किया जायेगा।

संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्त्तव्यों की पट्टिकाएं पार्को में लगाई जायेंगी ताकि युवाओं को संविधान की जानकारी मिल सके।

हमें प्रदेश में ऐसा वातावरण बनाना होगा कि जिससे संविधान लोगों के मन–मस्तिष्क में छा जाये। प्रस्तावना संविधान की मूल भावना है। मौलिक कर्त्तव्य संविधान के प्रमुख स्तम्भ है। भारत के संविधान पर विश्वविद्यालयों में भाषण प्रतियोगिता करायी जायें ताकि युवाओं को संविधान की जानकारी हो सके।

राजभवन राज्य का प्रतीक होता है। राजभवन राज्यपाल के साथ कुलाधिपति का भवन भी है। इसलिए राजभवन में एक विश्वविद्यालय पार्क बनाया जायेगा। इस पार्क में राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित स्मार्ट मॉडल का प्रदर्शन होगा।

राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को एक सूत्र में जोड़ा जायेगा। अब सभी विश्वविद्यालयों को अंतर विश्वविद्यालय क्रीडा उत्सव में भाग लेना अनिवार्य होगा।

इस क्रीडा उत्सव में चांसलर ट्राफी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय को दी जायेगी। यह खेल उत्सव प्रतिवर्ष होंगे। चांसलर ट्राफी चल होगी। प्रत्येक वर्ष यह ट्राफी दी जायेगी।

मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया इसके लिए मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूँ।

धन्यवाद। जय हिन्द।